न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–35 सन् 2019

अवधेश कुमार सिंह वो0 अन्य........................वादीगण।

बनाम

विशुन देवी साह.......................................प्रतिवादीगण।

दिनांक–03.09.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर स आदेश 22 नियम 4 के तहत दाखिल आवेदन दिनांक 20.07.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वाद चलने के दरम्यान प्रतिवादी सं0 01 विसुनदेव साह की मृत्यु दिनांक 17.01.2022 को हो गई है। लेकिन इस वाद में प्रतिवादी सं0 01 के स्थान पर उनके वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके जायज वारिसानों को नाम प्रतिस्थापित करें। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत उपसमन अपास्त करने का आवेदन दाखिल किया गया है।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 बिसुनदेव साह थे जिनकी मृत्यृ दिनांक 17.01.2022 को हो चुकी है। वादी की ओर से उक्त आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 01 बिशुन देव साह का नाम कलमजद करने तथा उनके जायज वारिसान जो आवेदन में लिखित है उनका नाम कलमबद्ध करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है तथा वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।